संख्या 331 /2012/141(120)/XXVII(8)/08

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभागः वित्त (अनुभाग–8) देहरादूनः: दिनांकः: 17 अप्रैल, 2012

महोदया,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र सं0 7988 दिनांक 24 फरवरी, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा रोड़ साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में अपने कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों एवं रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइन्ट्स, जिनकी वार्षिक बिक्री ₹ 50 लाख तक की सीमा के अन्तर्गत है, और जो गैर वातानुकूलित हैं, के सम्बन्ध में दिनांक 01–04–2012 से 31–03–2015 तक की अवधि के लिये मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) में देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि योजना लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त अवधि के लिये समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित शासन के निर्देश, प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र के प्ररूप आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया इन योजनाओं का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

539
18/4/2012

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड

Vividh Patra/Commissiner ko Presit/DT